न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 557/2025

श्री सुनिल कुमार, निवासी ढाणी हुकमा, पो0 माकडो, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

—

आदेश

दिनांक 12.01.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 557/2025 पर दिनांक 26.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5513—5514 दिनांक 26.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय/2026/07 दिनांक 05.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री सुनिल कुमार, निवासी ढाणी हुकमा, पोस्ट माकडो, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2025/862 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय/2026/07 दिनांक 05.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री सुनिल कुमार, निवासी ढाणी हुकमा, पोस्ट माकडो, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2025/862 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है कि वे किसी भी कार्यालय दिवस मे कार्यालय मे उपस्थित होकर ग्राम ढाणी हुकमा के ख0नं0 293, 394, 295, 263, 364, 620/364 की हस्ताक्षरयुक्त वर्तमान नक्शे की नकल हेतु आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Scanned with CamScanner